राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1510/2010/कोटा

मैसर्स नोबल ग्रेन्स इण्डिया प्रा.लि,
ग्राम–ताथेड़, कोटा.

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2010 के विरुद्ध पेश की गई है जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन वृत–कोटा द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम, 1956) के तहत वर्ष 2006–07 के लिये पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 में आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया था।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा खाद्य तेल का अन्तर्राज्यीय विक्रय दिल्ली एवं म.प्र. की विभिन्न फर्मों को किया गया था, जिसके विक्रय बिल जारी किये गये थे एवं क्रेता व्यवसाइयों से अन्तर्राज्यीय विक्रय प्रमाणित करने के लिये घोषणा पत्र–सी भी प्राप्त कर विभाग में प्रस्तुत कर दिये गये थे। विभाग द्वारा उन घोषणा पत्रों की अन्य राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों से जांच की जाने पर पुनः इस आधार पर गलत पाया है कि वे घोषणा पत्र क्रेता व्यवसाइयों को जारी नहीं किये गये थे इस तरह उन्हें बोगस मानते हुये अन्तर्राज्यीय विक्रय पर धारा 8(2) के तहत करारोपण किया गया है, जो न्यायसम्मत नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा माल का विक्रय सद्भाविक संव्यवहार में किया गया था एवं क्रेता द्वारा गलत सी–फार्म दिये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है अतः अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

लगातार.....2

3. विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 8(1) में दो प्रतिशत की कर दर का लाभ तब ही लिया जा सकता है जब अधिनियम 1956, की धारा 8(4) में विहित शर्त अनुसार क्रेता व्यवसायी द्वारा वैध घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर विक्रेता को प्रेषित करें, जबकि इस मामले में जो विवादित घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे वे वैध नहीं पाये गये थे बल्कि ये घोषणा पत्र किसी अन्य व्यापारियों को जारी किये हुये थे जिसको क्रेताओं ने अवैध तरीके से प्राप्त कर अपीलार्थी को क्रेता से भिन्न भिजवा दिये है ऐसी स्थिति में अवैध घोषणा पत्रों को स्वीकार नहीं करने के कर निर्धारण एवं अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

4. बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवाद रुप से प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा जो विवादित घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे वे वैध घोषणा पत्र नहीं थे क्योंकि वे क्रेता से भिन्न किसी अन्य व्यवसायी को जारी किये हुये थे या क्रेता ने फर्जी तरीके से वे घोषणा पत्र हासिल किये हुये थे अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने भी यह तर्क नहीं दिया है कि वे घोषणा पत्र वैध माना जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में अवैध घोषणा पत्रों से रियायती कर दर का लाभ हासिल करने की मांग करना पूर्णतया अनुचित है एवं इस तरह अधिनियम की धारा 8(1) एवं 8(4) के तहत रियायती दर का लाभ न देकर पूर्ण कर दर से कर आरोपित किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

16/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

16/8/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य